राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 27.08.2012 को आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 14वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति की समीक्षा हेतु दिनांक 27.08.2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें उपस्थित प्राधिकरण के सदस्य एवं अन्य आमन्त्रित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अतिवृष्टि की स्थिति तथा उससे राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कारगर कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

14.1 अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ के कारण सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित मलबे को हटाने (Removal of debris) तथा जल भराव के क्षेत्रों से वर्षा जल के निकास (Drain out) के लिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.8.12 को सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के निर्णय का अवलोकन किया गया। जयपुर जिले में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सार्वजनिक स्थानों (Public Areas) पर एकत्रित हुए मलबे को हटाने (Removal of debris) एवं बाढ़ के पानी की निकासी (Drain out) करने हेतु इस समिति के द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित कार्यों पर किया गया व्यय भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अन्तर्गत एसडीआरएफ मद से दिया जायेगा।

(कार्यवाही UDH,LSG,JDA,JNN,PWD,WR,DM&R)

14.2 राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति से प्रभावित जिलों में जल निकासी एवं सार्वजनिक स्थानों (Public Areas) पर एकत्रित हुए मलवे को हटाने की कार्यवाही के लिये जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में समिति का गठन करने तथा इस समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यो का राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने पर किए गए व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अन्तर्गत एसडीआरएफ मद से दिया जायेगा।

14.5 अतिवृष्टि जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिये ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में इसके लिये एसडीआरएफ मद से राशि उपलब्ध करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता)

14.6 बैठक में राज्य में आकाशीय बिजली अथवा अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ से डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ से रुपये 1.50 लाख तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से रुपये 0.50 लाख कुल रुपये 2.00 लाख की सहायता राशि प्रति प्रभावित परिवार उपलब्ध करवाये जाने का अनुमोदन किया गया।

अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के कारण राहत कार्यों हेतु अब तक जिलों का विभिन्न मदों में 251.49 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। जिसका अवलोकन व अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही आपदा प्रबन्धन विभाग एवं जिला कलेक्टर्स)

14.7 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने प्रस्तुतिकरण देते हुए राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 22.8.2012 को माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक तथा दिनांक 24.8.2012 को मुख्यसचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करवायी। विचार विमर्श उपरान्त उक्त दोनों बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि की गयी।

14.8 जयपुर शहर में स्थित अमानीशाह नाले एवं अन्य नालों में अनाधिकृत स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चैतावनी बोर्ड लगाये जावें कि इन नालों में स्थित भूमि पर रहना सुरक्षित नहीं है। अमानीशाह नाला तथा अन्य नाले जिसमें पानी भरता है या बहाव क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के निर्माण निषेध घोषित किया जावे तथा इसमें बिजली एवं पानी के कनेक्शन नहीं दिये जावें।

(कार्यवाही : नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर निगम जयपुर)

14.9 वर्तमान में जयपुर एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ की स्थिति से निचले क्षेत्रों में पानी के भराव के कारण मलेरिया, डेंगू, Leptospriosis व अन्य बीमारियों के फैलने की आशंका है,

14.13 जयपुर एवं राज्य के कई अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ के कारण चलाई जा रही राहत गतिविधियों एवं बाढ से क्षतिग्रस्त अद्यःसंरचना (Infrastructure) यथा सड़क, पुल, बांध, एनीकट इत्यादि के त्वरित पुनर्निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि की मांग हेतु भारत सरकार को पूरक ज्ञापन (Supplementary Memorandum) प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही आपदा प्रबन्धन एवं सहायता)

14.14 दिनांक 1.8.2012 की राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक के पश्चात राज्य के वर्ष 2068 की रबी एवं खरीफ की फसल गिरदावरी में खराबे की स्थिति के आधार पर अभावग्रस्त घोषित 5 जिलों यथा– अजमेर, नागौर, बाडमेर, जैसलमेर एवं चूरू जिलों में राहत गतिविधियों की संचालन अवधि 15 अगस्त, 2012 तक बढाये जाने के निर्णय का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन सचिव

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 27.08.2012 को राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण।

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री हरजीराम बुरड़क	कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री
2.	श्री बृजेन्द्रसिंह ओला	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री
3.	श्री ए.ए.खान	चिकि0एवं स्वास्थ्य विभाग
4.	श्री प्रसादीलाल मीणा	सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री
5.	डॉ. जितेन्द्र सिंह	ऊर्जा मंत्री
6.	श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय	ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री
7.	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल	गृह, यातायात राज्य मंत्री

8.	डॉ0 सी0 के0 मैथ्यू	मुख्य सचिव
9.	डॉ वी0 एस0 सिंह	अति0मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग
10.	श्री सी0एस0 राजन	अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
11.	श्री अशोक सम्पतराम	अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग
12.	श्री ओ0 पी0 मीणा	अति0 मुख्य सचिव, पशु पालन विभाग
13.	श्री जी0 एस0 सन्धु	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
14.	डॉ0 मालोविका पंवार	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
15.	डॉ0 पुरूषोत्तम अग्रवाल	प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग
16.	श्री डी0 बी0 गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
17.	श्री ओ0 पी0 सैनी	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
18.	श्री तपेश पवार	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग
19.	डॉ0 गोविन्द शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
20.	श्री मुकेश शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. विभाग
21.	श्री श्रीमत पाण्डेय	प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
22.	श्री जे0 सी0 महान्ति	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
23.	श्री अभय कुमार	शासन सचिव, आप्र. एवं सहा. विभाग
24.	श्री पी0 के0 गोयल	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
25.	श्री रजत मिश्रा	सचिव, मुख्यमंत्री
26.	श्री अखिल अरोड़ा	सचिव, वित्त (बजट) विभाग
27.	श्री नरेश पाल गंगवार	सचिव, ऊर्जा विभाग
28.	श्री कुंजीलाल मीणा	अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम
29..	श्री आर0 सी0 एस0 जोधा	एम0 डी0, अपेक्स बैंक
30.	डॉ0 बी0 आर0 मीणा	निदेशक, चिकित्सा विभाग